विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तरः-

प्रश्न		उत्तर
14-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उनको सम्बोधित पत्र-54801 पत्रांक सं0-ए0जी0एल0 137/2023 दिनांक 22.05.2023 आपकों प्राप्त हुआ उक्त पत्र के मूल विषय क्या थें तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?		मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 का पत्र-54801, पत्रांक सं0-ए0जी0एल0 137/2023, दिनांक 22.05.2023 प्राप्त नहीं हुआ है।
(ख) समाज कल्याण मंत्री एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण को दिनांक 10.07.2024 तक कितने पत्र प्राप्त हुये और कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुये?		मा0 राज्य मंत्री (स्व0प्र0), समाज कल्याण विभाग एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय को कुल 04 पत्र प्राप्त हुए हैं। मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 का पत्र संख्या-92 BJPUP 2023, दिनांक 26.03.2023, पत्र संख्या-297/23, दिनांक 27.09.2023, पत्र संख्या-347/2023, दिनांक 01.11.2023 तथा माह जनवरी 2024 में संख्या एवं दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।
(ग) अब तक प्राप्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?		मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 26.03.2023 के माध्यम से एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पलिया के ग्राम नगला, बसही कालोनी, पटुआ, बेलाकला के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 01.05.2023 द्वारा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया था। उक्त के अतिरिक्त मा0 सदस्य, विधान परिषद का दिनांक रहित पत्र जनवरी 2024 में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के माध्यम से एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पलिया के ग्राम नगला, बसही कालोनी, पटुआ, बेलाकला में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 को बदलकर यू0पी0 सिडको नामित किये जाने तथा अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को जॉच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी प्रकार कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में मा0 सदस्य, विधान परिषद का पत्र दिनांक 27.09.2023 एवं दिनांक 01.11.2023 प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 09-11-2023 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को जॉच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया कि उक्त पत्र उनके

		कार्यालय से जारी नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य के उपरिसंदर्भित फर्जी पत्रों के क्रम में कार्यदायी संस्था बदलने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मा0 सदस्य, विधान परिषद के नाम का दुरूपयोग हुआ है तो, उनके स्तर से इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
(घ) उक्त पत्रों की कृत कार्यवाही की सूचना एवं रिसीविंग की प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?		उपरोक्तानुसार।
(ड.) यदि नहीं, तो क्यों?		प्रश्न नहीं उठता।

Signed by Asim Arun
Date: 28-07-2024 15:55:21
(असीम अरूण)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)